

फर्द अहकाम

नन्दराम

घनाम

रत्न कपूर

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

आवस्य बाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 172/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

आज्ञा
दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

24/9/24 पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दोरे/अन्य कार्य वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक... 7/10/24 को पेश हो। ९

7/10/24 पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दोरे/अन्य कार्य वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक... 21/10/24 को पेश हो। १०

21/10/24 पत्रावली पेश हुई/ प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1, 2, 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थापी निषेधाज्ञा पर की गई बहस हुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस जाद्विरे बच्चों पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी खसरा नं. 65 रकबा 0.7966 हैक्टर, खसरा नं. 74 रकबा 1.2645 हैक्टर स्थित ग्राम आलीपुरा प.ड. दनाऊकला

फर्द अहकाम

नन्दराम खनाम रतन केवर

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 172/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

तद. तूंगा जि. जयपुर के सम्बन्ध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निर्णेशों से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त विवादित आराजी पर वाद के निर्णय तक मौकें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फेंसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण